–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 22/2014

उनवान

रामलाल पुत्र रामकरण (फौत) जरियें वारिसान
1/1. श्री किशन
1/2. रामकिशन
1/3 मानी
1/4. कमला
1/5. केसर
1/6. भूरी पि. रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम मावशिया, नसीराबाद
––प्रार्थी :–जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

1. रंगलाल पुत्र रामकरण
2. राधाकिशन पुत्र हीरा
3. रिद्धकरण पुत्र हीरा
4. हरजी पुत्र हीरा,
5. छगना पुत्र रामचन्द्र
6. सुगना पुत्र रामचन्द्र
7. सुखदेव पुत्र रामचन्द्र मृतक जरियें वारिसान
7/1. रामधन
7/2. सुखपाल
7/3. महिपाल
7/4. मनोहर पि. सुखदेव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मावशिया, नसीराबाद
8. मैनेजर स्अेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नसीराबाद
9. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
––अप्रार्थीगण :– 2, 4, 6 व 7 जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन
1, 3 व 8 अनुपस्थित, 9 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 4.10.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र पर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खाता संख्या 1852/1758 किता 30 रकबा 10.70 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी मुतनाजा पर उभयपक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 8 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6 व 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की शामलाती रही है। आराजी का मौखिक वाहमी बंटवारा 35 वर्ष पूर्व हो चुका है। उभयपक्ष भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। जवाबकर्ता ने भूमि पर भारी सुधार व विकास कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी जानबुझकर सुधार व विकास की गयी भूमि को हडपना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है। आराजी मुतनाजा पर उभयपक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि उक्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की शामलाती रही है। आराजी का मौखिक वाहमी बंटवारा 35 वर्ष पूर्व हो चुका है। उभयपक्ष भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थी जवाबकर्ता ने भूमि पर भारी सुधार व विकास कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी जानबुझकर सुधार व विकास की गयी भूमि को हडपना चाहता है। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से अविभाजि है। राजस्व अभिलेख में उभयपक्ष भूमि के सहखातेदार है। अविभाजित आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व अधिकार निहित होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया है किन्तु अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। रिकार्डड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश विषम परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की विषम परिस्थितियॉ सिद्व नही की है। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त [illegible] ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना प[illegible] प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय [illegible] नही है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व [illegible] तथ्यों का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:16 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आदेश :– अतः ग्राम ग्राम रामसर के खाता संख्या 1852/1758 किता 30 रकबा 10.70 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:16 IST
Reason: SelfAttested